

केंद्र और राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक के परिवार के मुखिया का जन आधार कार्ड

5898855855899

2. आवेदक का पूरा नाम

Gurdeep brar

3. जन्म तिथि

1995-01-05

4. निवास का पूर्ण पता

Anupgarh

(अ) वर्तमान पता

Anupgarh

(ब) स्थायी पता

Anupgarh

क्या आप/आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं? हां नहीं

यदि नहीं तो आवेदक का मूल राज्य जिला तहसील पता

5. क्या आवेदक अपने मूल राज्य राजस्थान से अन्य राज्य में विवाह /शिक्षा /रोजगार / अन्य प्रयोजनार्थ अन्य राज्य तहसील पता पर निवास कर रहा है | यदि हां तो आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र प्रारूप M संलग्न करावे।

6. लिंग:- पुरुष महिला ट्रांसजेंडर

7. धर्म **shikh**

8. जाति **obc**

9. उपजाति **jatshikh**

10. उपजीविका-वर्ग

11. आवेदन केंद्र OBC के लिए या राज्य OBC के लिए किया जा रहा है

12. अ.पि. वर्ग की केंद्र / राज्य सूची में जाति का क्रम संख्या **2569**

13. आवेदक के पिता का नाम **Ajmer brar**

14. आवेदक की माता का नाम **Chinder kour**

15. माता-पिता का नाम न होने की स्थिति में संरक्षक का नाम

16. आवेदक के पति का नाम **MANPREET**

पासपोर्ट साइज

17. माता-पिता पति की परिस्थिति

पिता

माता

पति

[क] संवैधानिक पद

Idc

[ख] पद नाम

Idc

[ग] सरकारी सेवायें

पिता

माता

पति

(i) सेवा (केंद्रीय/राज्य)

center

(ii) पद नाम

Idc

(iii) वेतनमान, वर्गीकरण सहित, यदि कोई हो।

(iv) पद पर नियुक्ति की तारीख **2014-06-11**

(v) वर्ग/पद पर पदोन्नति के समय आयु (यदि लागू हो)

[घ] अंतरराष्ट्रीय संगठन उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद नाम

(iii) सेवा की कालावधि

(दिनांक

से

तक)

(iv) मृत्यु / स्थाई अक्षमता (यदि लागू नहीं हो तो छोड़ दीजिए)

(v) मृत्यु / अधिकारी की स्थाई अक्षमता की तारीख जब से वह सेवा के अयोग्य हो गया हो।

(vi) स्थायी अक्षमता का ब्यौरा

[ङ] पब्लिक सेक्टर उपक्रम आदि में नियोजन

(i) संगठन का नाम

(ii) पद का नाम

(iii) पद पर नियुक्ति की तारीख

[च] पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल

(इसमें सिविल सेवा का धारक एवं उनके वंशज सम्मिलित नहीं होंगे)

(i) पद नाम

(ii) वेतनमान

व्यवसाय वर्ग (उनको छोड़कर जो मद संख्या (ख) और (ग) के अंतर्गत आते हैं और व्यापार, कारोबार और उद्योग में लगे हुये व्यक्ति।

(i) उप-जीविका / वृत्ति

[ज] सम्पत्ति के स्वामी

.....
[झ] कृषि जोते (माता, पिता और अवयस्क बच्चों के स्वामित्व में)

(1) अधिस्थिति

(2) जोत का आकार

क – सिंचित भूमि का प्रकार

1.

2.

3.

ग – असिंचित।

4. राज्य भूमि अधिनियम सीमा क्षेत्र विषयों के अधीन कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में सिंचित जोत का प्रतिशत।

5. यदि जोत सिंचित/असिंचित दोनों प्रकार की है तो – राज्य भूमि अधिनियम सीमा क्षेत्र विधि में संपरीवर्तन फार्मूला के आधार पर कुल सिंचित जोत।

6. 4, 5 के अनुसार कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

6. 4, 5 के अनुसार कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र में कुल सिंचित जोत का प्रतिशत

ग (I) बागान

(I) फसल / फल

(II) अधिस्थिति

(III) बागान का क्षेत्र

[ड] (II) नगरीय क्षेत्रों या नगर बस्ती में रिक्त भूमि और / या भवन

- (I) सम्पत्ति की अधिस्थिति।
- (II) सम्पत्ति का ब्यौरा
- (III) उपयोग जिसके लिए वह रखी गयी है।

[च] आय/धन

- (I) समस्त स्त्रोतों से कुटुंब (माता-पिता व अवयस्क बच्चे) की वार्षिक आय (वेतनों और कृषि भूमि से आय को अपवर्जित करते हुए) **3000000**
- (II) क्या करदाता है (हाँ / नहीं) () यदि हां तो गत तीन वर्षों की विवरणी की प्रति दी जाये।
- (III) क्या धन कर अधिनियम के अंतर्गत आता है (हाँ / नहीं) (यदि ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए)

[छ] अन्य कोई अभ्यक्तियां।

भवदीय,
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान दिनांक

(i) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि, प्रार्थी/प्रार्थिया **Gurdeep brar** पुत्र/पुत्री श्री **Ajmer brar** निवासी **Anupgarh** को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति **jatshikh** का / की है, तथा उनके द्वारा संलन बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

(ii) गवाह* :

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी विभाग का नाम पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि, प्रार्थी/प्रार्थिया **Gurdeep brar** पुत्र/पुत्री श्री **Ajmer brar** निवासी **Anupgarh** को भली प्रकार से जानता हूँ ये अन्य पिछड़ा वर्ग की उपजाति **jatshikh** का / की है, तथा उनके द्वारा संलन बयान मेरे समझ दिया गया है जो पूर्ण सत्य है।

(हस्ताक्षर गवाह/उत्तरदायी व्यक्ति)

शपथ-पत्र

मैं **Gurdeep brar** पुत्र / पुत्री श्री **Ajmer brar** निवासी **8k** गांव / शहर **8k** तहसील जिला **anupgarh** राजस्थान का / की हूं। मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूं कि :

- (1) मैं राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिसूचित सूची में सम्मिलित जाति **jatshikh** का / की सदस्य हूं।
- (2) मैं उपर्युक्त प्रकरणों के संदर्भ हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध कराने को तैयार हूं।
- (3) मैं और मेरा परिवार अन्य राज्य से राजस्थान राज्य में माइग्रेट (विस्थापित) होकर नहीं आये हैं।
- (4) यह कि मैंने किसी भी जिले / प्रदेश से जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है।

हस्ताक्षर शपथग्रहीता

जाति की पुष्टि हेतु प्रमाणपत्र: राज्यस रिकॉर्ड्स यथा भूमि जमाबंदी या अन्य दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट

श्रीमान मुताबिक जिला, गवाह एवं शपथ पत्र के आधार पर आवेदक श्री / श्रीमती / कुमार पुत्र / पुत्री श्री निवासी के / की है। यह अनुसूचित जाति / जनजाति की उपजाति का / की है। प्रार्थी का राशन कार्ड नंबर है।

हस्ताक्षर

दिनांक
पदधारी
हल्का नं
तहसील
उपखण्ड
जिला

1. आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिये गये स्थान पर चिपकाये (स्टेपल नहीं करना है)
2. स्वयं या पिता की जाति के साथ हेतु प्रमाण पत्र जैसे- प्रधानमंत्री राजस्व रिकॉर्ड्स यथा भूमि की जमाबंदी एवं आवश्यक हो तो नगरपालिका / विकास अधिकारी / नगर विकास स्याह / ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूखंड के पट्टे जिसमें जाति अंकित हो की प्रमाणित प्रति यदि ऑनलाइन नहीं हो तो।
3. आप प्रमाण पत्र / आय का रिकॉर्ड सम्बन्धित तहसीलदार की प्रति यदि ऑनलाइन दस्तावेज नहीं हो तो।
4. आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र को उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करायें।
5. से उपर्युक्त व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र यथा- सांसद सदस्य / विधायक सभा सदस्य / राजकीय अधिकारी- कर्मचारि / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद् सदस्य / सरपंच / ग्राम सेवक / प्रवासी / महापौर (सीटिक) / नगर निगम सदस्य / नगर पालिका सदस्य / स्कूल के हेड मास्टर / संयोजक पी.एड.टी./ सी.टी.ई./ बी.एस.टी./ सहायक अभियंता / उपखंड / स्कूल के हेड मास्टर / संयोजक पी.एड.टी./ सी.टी.ई./ बी.एस.टी./ सहायक अभियंता
6. जाति का प्रमाण पत्र की प्रति यदि ऑनलाइन नहीं हो तो।
7. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो कि अन्य राज्यों में विवाह, शिक्षा, रोजगार आदि हेतु निवास कर रहे हैं के लिये जाति प्रमाण पत्र हेतु घोषणा पत्र एम संलग्न करें।
8. अन्य राज्य के निवासी (विस्थापित) का जाति प्रमाण पत्र हेतु कागजात प्रस्तुत करें।